State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्र. / SCERT / SLA-M / 2019–20 / 781 रायपुर, दिनांक 06.03.2020

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)
छत्तीसगढ़

विषय – SLA के अंतर्गत शासकीय शालाओं में समेटिव आकलन (Summative Assessment (SA -2) (सत्र 2019–20) हेतु दिशा निर्देश विषयक।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. द्वारा किए जा रहे राज्य स्तरीय आकलन (SLA) के अंतर्गत शासकीय शालाओं में समेटिव आकलन (Summative Assessment (SA -2) (सत्र 2019–20) किया जाना है, जिसकी समय सारणी भेजी जा चुकी है। अतः जिलों में SA -2 के सुचारु संचालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश भेजे जा रहे हैं। ये दिशा निर्देश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. की वेबसाइट http://scert.cg.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग.

पृ.क्र. / परिषद् / SLA/ 2019 / 782 रायपुर, दिनांक 06.03.2020

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, पेंशन बाड़ा, रायपुर को सूचनार्थ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग संभाग–रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / सरगुजा / बस्तर को सूचनार्थ।
5. श्री सोमशेखर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य, डाइट (समस्त) ....को सूचनार्थ।
7. जिला मिशन समन्वयक (समस्त) .... को सूचनार्थ।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग.

SLA letter_1/AN/108/2019

राज्य स्तरीय आकलन (सत्र 2019–20)

समेटिव आकलन (2) – Summative Assessment (SA -2)

दिशा निर्देश

शासकीय शालाओं में समेटिव आकलन–2 (SA -2) किया जाना है, जिसके सुचारु संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं –

A. संचालन –

- SA (2) आकलन पूरे प्रदेश में निर्धारित समय–सारणी के अनुसार समस्त प्रारंभिक स्तर की शासकीय शालाओं में आयोजित किये जाएंगे।
- राज्य स्तर से SCERT द्वारा SA (2) के प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे।
- कक्षा 1 से 8 में SA-2 हेतु प्रश्न पत्र राज्य स्तर से मुद्रित कर हार्ड कॉपी में, जिलों तक वितरित किए जाएंगे।
- राज्य द्वारा वितरित किए गए प्रश्न पत्र जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा शालावार, विषयवार, कक्षाओं में दर्ज संख्या के अनुसार सीलबंद लिफाफे में, शालाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- प्रश्नपत्रों को 4, 10, 16, 20, एवं 50 प्रश्नपत्रों के पैकेट में प्रदाय किया जा रहा है। विद्यालयों की दर्ज संख्या के अनुसार प्रश्नपत्रों का वितरण करें। प्रश्नपत्रों के वितरण के समय विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के साथ संकुल समन्वयकों को भी उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालयों की दर्ज संख्या के साथ उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें, ताकि प्रश्नपत्रों का वितरण सुगमता से हो सके।
- CAC, प्रधान पाठक एवं शिक्षक, विद्यार्थियों एवं समुदाय को आकलन की जानकारी देकर विभिन्न संचार माध्यमों से यथा संभव समस्त विद्यार्थियों की आकलन तिथियों में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- आकलन के सुचारू संचालन हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारी सघन मॉनिटरिंग कर समस्त प्रक्रियाओं के आयोजन संबंधी रिपोर्ट उच्च कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

B. प्रक्रिया –

- प्रश्न पुस्तिका में Student ID अनिवार्यतः भरी जाए।
- अनुपस्थित विद्यार्थियों के Student ID तिथिवार, कक्षावार, विषयवार अनिवार्यतः नोट किए जाएं।
- उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाना है। समय–सारणी के अनुसार SA 2 पूर्ण कर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांकों की प्रविष्टि का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का होगा।

- संकुल स्तर पर SA 2 के सफल संचालन का दायित्व संकुल समन्वयक का होगा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रधान अध्यापकों द्वारा आकड़ों की प्रविष्टि उपरांत डाटा सिंक कर दिये गए हैं।
- उत्तर पुस्तिकाओं पर दिए गए फॉर्मेट में प्रश्नवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि की जाए।
- किसी विषय के प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग हो जाने पर तत्काल प्रधान अध्यापक द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया जाए, जो यह सूचना उच्च कार्यालय को देकर आगामी निर्देश प्राप्त करेंगे। पूर्व निर्धारित अन्य विषयों की परीक्षा यथावत संचालित होगी।
- गोपनीयता भंग हो जाने पर उक्त विषय व कक्षा के आकलन के संबंध में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

C. मूल्यांकन एवं आकड़ों का संग्रहण –

- शाला में मूल्यांकन के उपरांत प्राप्तांकों की प्रविष्टि TEAMS-T App अथवा विद्यालयों को आबंटित टेबलेट के TEAMS-T App के माध्यम से की जाएगी। विद्यालय के किसी भी शिक्षक द्वारा प्राप्तांकों की प्रविष्टि की जा सकेगी किन्तु अंतिम उत्तरदायित्व प्रधान पाठक का होगा।
- आकलन उपरांत अंकों की प्रविष्टि 10 अप्रेल तक किया जाना सुनिश्चित करें।

D. अन्य –

- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आकलन के संबंध में आवश्यकतानुसार/पृथक निर्देश जारी किए जाएंगे।
- आकलन तिथियों में शासन द्वारा यदि कोई अवकाश अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी आकलन निर्धारित तिथियों में ही यथावत संपन्न होगा।
- परीक्षा से संबंधित समस्त निर्देश एवं प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु आकलन उपरांत समस्त प्रश्नपत्र एवं मॉडल उत्तर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. की वेबसाइट http://scert.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. द्वारा SLA का facebook page तैयार किया जाएगा जिसपर feedback, Photographs, अनुपस्थिति, विचार/सुझाव एवं अन्य जानकारी प्राप्त की/दी जा सकेगी।

AN